कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 2147 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 13 / 09 / 2025

श्री मोहित कुमार, 11वें जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के एमजेसी प्रकरण क्रमांक–242 / 2018 लवकुश पटेल व अन्य वि0 कौशल किशोर पटेल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–02.09.2025 में षष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा के न्यायालय के क्लेम प्रकरण क्रमांक–54 / 2016 लवकुश पटेल वि0 कौशल किशोर उर्फ मुन्ना पटेल वगै0 में दिनांक–25.10.2017 को पारित आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः उसी नंबर पर पुर्नस्थापित किए जाने तथा कार्यविभाजन आदेश क्रमांक–448 / दो–1–1 / 2000 रीवा, दिनांक–22.07.2025 में षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के रिक्त न्यायालय के समस्त कार्य 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को अधिकृत किए जाने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्लेम प्रकरण क्रमांक–54 / 2016 लवकुश पटेल वि0 कौशल किशोर उर्फ मुन्ना पटेल वगै0 को विधि अनुसार निराकरण हेतु 19वें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 4563 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 13 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. 11वें / 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)